भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1697
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

निःशुल्क कानूनी सहायता देने वाले वकीलों का अनुपात

1697. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में देश में जनसंख्या के हिसाब से "निःशुल्क कानूनी सहायता" देने वाले वकीलों का अनुपात बेहद कम है;
(ख) निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध वकीलों की संख्या और इन पदों के लिए कुल रिक्तियों की राज्य-वार सूची क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों में देश में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की राज्य-वार सूची क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में कानूनी सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन किया गया है। इस प्रयोजन हेतु तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाए स्थापित की गयी हैं ।

पैनल वकीलों को आवश्यकता के अनुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के फीडबैक के अनुसार, विधिक सेवा संस्थाओं के पास पर्याप्त संख्या में पैनल वकील उपलब्ध हैं और पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पैनल वकीलों की कोई कमी नहीं है । वर्तमान में, पूरे देश में लगभग 49000 पैनल वकील विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध हैं। 31.12.2022 तक पैनल वकीलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-क** पर है ।

(ग) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विधिक सेवा संस्थानों द्वारा मुफ्त विधिक सेवाओं से लाभान्वित/ उनको प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-ख** पर है ।

(घ) : एनएएलएसए ने देश में विधिक सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहले की हैं । ऑनलाइन विधिक सहायता आवेदन फाईल करने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है । वेब पोर्टल को www.nalsa.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है और यह दस (10) भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, उड़िया और कन्नड़ में उपलब्ध है ।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा न्याय तक पहुंच पर "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान की परिकल्पना करना" नामक एक स्कीम लागू की गई है, जिसका उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह और परामर्श को मजबूत करना; न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने और पैन इंडिया विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए पैन-इंडिया डिस्पेंसेशन ढांचे को

सुनिश्चित करना है । यह स्कीम अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक विधिक सेवाओं की आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षेत्रीय/स्थानीय बोली में प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री विकसित करने पर आधारित है । स्कीम के अधीन ये सभी सेवाएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

****

उपाबंध –क

संसद् सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी द्वारा राज्य सभा में पूछे गए निशुल्क कानुनी सहायता देने वाले वकीलों के अनुपात से संबंधित अतांराकित प्रश्न संख्या 1697 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

31.12.2022 तक पैनल वकील के ब्यौरों से संबंधित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम	पैनल वकील (एचसीएलएससी को छोड़कर)	एचसीएलएससी/उप समिति में पैनल वकील
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	38	0
2	आंध्र प्रदेश	1767	46
3	अरुणाचल प्रदेश	148	12
4	असम	1076	40
5	बिहार	2120	57
6	चंडीगढ़	131	199
7	छत्तीसगढ़	2912	198
8	दादरा और नागर हवेली	10	0
9	दमण और दीव	19	0
10	दिल्ली	1547	150
11	गोवा	150	11
12	गुजरात	2199	1041
13	हरियाणा	1756	199
14	हिमाचल प्रदेश	329	162
15	जम्मू-कश्मीर	663	27
16	झारखंड	1148	88
17	कर्नाटक	2649	112
18	केरल	3181	74
19	लद्दाख	16	0
20	लक्षद्वीप	0	0
21	मध्य प्रदेश	2046	296
22	महाराष्ट्र	4828	565
23	मणिपुर	193	10
24	मेघालय	174	16
25	मिजोरम	55	0
26	नागालैंड	102	12
27	ओडिशा	1116	166
28	पुडुचेरी	297	0
29	पंजाब	969	199
30	राजस्थान	1701	160
31	सिक्किम	161	0
32	तमिलनाडु	4088	350
33	तेलंगाना	1596	80
34	त्रिपुरा	268	39
35	उत्तर प्रदेश	2515	84
36	उत्तराखंड	310	25
37	पश्चिमी बंगाल	2194	0
	कुल	**44472**	**4418**

उपाबंध - ख

संसद् सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी द्वारा राज्य सभा में पूछे गए निशुल्क कानुनी सहायता देने वाले वकीलों के अनुपात से संबंधित अतांराकित प्रश्न संख्या 1697 जिसका उत्तर 03.08.2023 को दिया जाना है के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

विगत तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन उपलब्ध कराई गई विधिक सेवाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों के ब्यौरें से संबंधित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	65	79	134
2	आंध्र प्रदेश	4474	6371	9473
3	अरुणाचल प्रदेश	1984	2657	5559
4	असम	10027	110254	38335
5	बिहार	38653	1689158	209809
6	चंडीगढ़	1242	1781	2653
7	छत्तीसगढ़	26814	42394	44106
8	दादरा और नागर हवेली	10	27	28
9	दमण और दीव	0	17	24
10	दिल्ली	82131	79055	96433
11	गोवा	875	1101	2041
12	गुजरात	8302	21953	32422
13	हरियाणा	11059	23260	43098
14	हिमाचल प्रदेश	2083	4806	5998
15	जम्मू-कश्मीर	7675	8870	7992
16	झारखंड	131691	649481	145217
17	कर्नाटक	23211	32794	45663
18	केरल	11242	16895	23418
19	लद्दाख	93	2408	711
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	87843	3343800	191921
22	महाराष्ट्र	12278	22595	36663
23	मणिपुर	56635	22651	26929
24	मेघालय	2131	2346	2769
25	मिजोरम	1670	3201	5038
26	नागालैंड	4231	7750	7390
27	ओडिशा	6029	8849	11880
28	पुडुचेरी	309	884	788
29	पंजाब	27096	36404	56448
30	राजस्थान	12274	13833	13472
31	सिक्किम	702	986	1127
32	तमिलनाडु	26491	38181	49570
33	तेलंगाना	3488	6712	12615
34	त्रिपुरा	2156	2671	5055
35	उत्तर प्रदेश	3545	132629	24890
36	उत्तराखंड	2343	3775	5386
37	पश्चिमी बंगाल	20906	29015	49714
	कुल	**631758**	**6369643**	**1214769**

****